

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1072/2014/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1073/2014/जयपुर.
3. अपील संख्या – 1074/2014/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1075/2014/जयपुर.

मैसर्स विनायक डिस्ट्रिब्यूटर्स,
21, त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेंटर, त्रिवेणी नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/10/2018

निर्णय

1. उक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 372, 373, 374 व 375/अपील्स-I/आरवीएटी/जयपुर में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 03.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.11.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	क.नि.वर्ष	क.नि. आदेश दिनांक	अपी. अधि. के आदेश	कर	ब्याज	शास्ति	कुल योग
1072/14	10-11	28.11.2013	03.03.2014	223688	89475	447376	760539
1073/14	11-12	28.11.2013	03.03.2014	1155718	312044	2311436	3779198
1074/14	12-13	28.11.2013	03.03.2014	834191	125129	1668382	2627702
1075/14	13-14	28.11.2013	03.03.2014	368239	18412	736478	1123129

2. उक्त चारों अपीलें के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

↓



लगातार.....2

3. उक्त प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन-प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 26.07.2013 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में मोबाईल फोन की बैटरी एवं मोबाईल बैटरी चार्जर की बिक्री पर 4/5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मोबाईल बैटरी एवं बैटरी चार्जर वेट अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, अतः ऐसे समस्त विक्रयों पर उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कम कर दर से "कर (Tax)" चुकाने के कृत्य को करापवंचन का अपराध मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार कर बिक्रीत मोबाईल बैटरी एवं चार्जर पर धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया परन्तु आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बैटरी एवं बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-V के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि संख्या-12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात बैटरी एवं बैटरी चार्जर अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्ट्स होने से प्रविष्टि संख्या-28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलौच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत। यह भी तर्क दिया कि मोबाईल बैटरी एवं मोबाईल बैटरी चार्जर, मोबाईल फोन का आवश्यक पार्ट है क्योंकि इसके बिना मोबाईल फोन कार्य नहीं कर सकता है। यह भी कथन किया कि किसी भी मोबाईल फोन में विशिष्ट बैटरी एवं चार्जर का ही प्रयोग होता है एवं इसका अन्य फोन में कोई

1

लगातार.....3

प्रयोग नहीं होता है। कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयुक्त बनाम जसवन्त सिंह चरण सिंह (1967) 19 एस.टी.सी. 469 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी वस्तु को उसके लोकप्रिय नाम के आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिये, ना कि उसके तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आधार पर।

6. अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 का हवाला देते हुए कथन किया कि बैटरी को आवश्यक पार्ट ही माना गया है एवं कर बोर्ड के निर्णयों में भी इसका अनुसरण किया गया है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :-

- (i) **The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016**
- (ii) **The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015**
- (iii) **Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.**
- (iv) **Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015**
- (v) **In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.**
- (vi) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 05.06.2017.
- (vii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 853 से 855/2015/जयपुर मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोरमेटिक्स लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 27.06.2017.
- (viii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 436 से 439/2016/अलवर मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2017.
- (ix) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2017
- (x) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 235 से 237/2015/जयपुर मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2017




7. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त कर निर्धारण आदेशों में बैटरी एवं बैटरी चार्जर दोनों की बिक्री पर 14 प्रतिशत से करारोपण कर दिया जबकि बैटरी पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा 4/5 प्रतिशत से कर दर होना निर्णीत किया जा चुका है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में संशोधन कर बैटरी एवं बैटरी चार्जर की बिक्री की अलग-अलग गणना कर करारोपण करने का निर्देश दिया जाने एवं दिनांक 06/09/2013 के पश्चात् की अवधि के लिए एसेसरी के रूप में बैटरी चार्जर को भी उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित कर दिया जाने से उसके पश्चात् की अवधि के कर निर्धारण आदेश में संशोधन करने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।

8. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने पर बल दिया।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

10. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में निम्न बिन्दुओं पर निर्णय किया जाता है :-

(i) कि मोबाईल फोन के साथ उसकी बैटरी मोबाईल फोन का पार्ट माना जावे या केवलमात्र एसेसरी। चूंकि सेलफोन के पार्ट पर कर दर वेत अधिनियम की अनुसूची-IV में 4/5 प्रतिशत से निर्धारित है, जबकि एसेसरी को अनुसूची-IV में दिनांक 06.03.2013 के पूर्व अंकित नहीं किया हुआ होने से इस पर 14 प्रतिशत से कर दर उद्ग्रहणीय है।

(ii) मोबाईल फोन की बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रयुक्त बैटरी चार्जर पर कर दर का बिन्दु विवादित है, जिसमें पुनः बैटरी चार्जर को सेलफोन का पार्ट माना जावे या इसे एसेसरी के रूप में कर योग्य माना जावे।

(iii) उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित टर्नओवर में बैटरी एवं बैटरी चार्जर के समस्त विक्रय को इकजाई कर दिया गया है ऐसी स्थिति में विधिसम्मत कर दर से गणना हेतु प्रकरण में पुनः जांच किये जाने का बिन्दु भी निहित है।

11. प्रकरण के उक्त विवादित बिन्दुओं में से सर्वप्रथम सेलफोन की बैटरी पर कर दर सम्बन्धी विवाद पर विचार किया गया, इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों का हवाला दिया गया, जिसमें अपील संख्या 1998/2013/




लगातार.....5

जयपुर निर्णय दिनांक 05.06.2017 मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि० जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त-प्रथम, जयपुर तथा अपील संख्या 469/2014/अलवर निर्णय दिनांक 26.4.2017 मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लि० भिवाड़ी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान-प्रथम, जयपुर का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णयों में विशिष्ट तौर से मोबाईल फोन की बैटरी पर विवेचन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि मोबाईल फोन का संचालन बैटरी के बिना सम्भव नहीं है। फलतः इसे सेलफोन का अभिन्न पार्ट मानते हुए उस पर अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 के अनुसार सेलफोन का पार्ट होने से 4/5 प्रतिशत से ही करदेयता निर्धारित की जाती है। उक्त निर्णयों में कर बोर्ड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एस.टी. आर. पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में दिये गये निर्णय का अनुसरण किया गया है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न विवेचन किया गया है :-

".....This court in ACTO V. M/s Swastik Agencies (supra), had an occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, admittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.

.....

In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

.....

The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

↓

↓

लगातार.....6

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery cannot be said to be an accessory rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehicle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon is not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated. Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my view, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

12. इस सम्बन्ध में यह टिप्पणी करना पुनः उचित होगा कि सेलफोन का उपयोग बैटरी के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णय के विवेचन अनुसार सेलफोन का component part माने जाने का निर्णय किया गया है, अतः राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा किये गये निर्णय से कवर्ड होने से अपीलार्थी की अपीलें बैटरी के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं।

13. प्रकरण में दूसरा बिन्दु व्यवहारी द्वारा बिक्रीत मोबाईल के बैटरी चार्जर से सम्बन्धित है। इसी बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या-785/2016/जयपुर दिनांक 10.05.2016, अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त प्रथम जयपुर निर्णय दिनांक 05.06.2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय दिनांक 17.12.2014 के आलोक में बैटरी चार्जर को एसेसरी मानते हुए पार्ट पर विहित कर दर की पात्रता नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :-




लगातार.....7

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

14. फलतः बैटरी चार्जर मोबाईल फोन का पार्ट नहीं होने से एवं इसे एसेसरी माने जाने के उक्त निर्णय के अधीन कर बोर्ड द्वारा उक्त निर्णयों में इस पर अवशिष्ट कर दर 14/14.5 प्रतिशत होना निर्णीत किया गया है, फलतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-28 में दिनांक 6.3.2013 से संशोधन कर प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम को पार्ट्स के साथ "एसेसरीज" को भी अंकित कर दिया गया है। अतः दिनांक 6.3.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर पर भी कर दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। दिनांक 6.3.2013 से पूर्व बैटरी चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 के अनुसार एसेसरी के रूप में सामान्य कर दर देय होगी।

15. परिणामस्वरूप, व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत मोबाईल फोन की बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर की देयता है, परन्तु बैटरी चार्जर पर एसेसरी के रूप में सामान्य कर दर से करदेयता प्रभावी रहेगी। साथ ही अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर पर कर दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।


16. इसके अलावा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तर्क भी स्वीकार किया जाने योग्य है कि कर निर्धारण आदेशों में बैटरी एवं बैटरी चार्जर की बिक्रियों को अलग-अलग नहीं किया गया है अतः समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि वे व्यवहारी की बहियात की जांच कर बैटरी एवं बैटरी चार्जर की बिक्रियों की अलग-अलग गणना कर बैटरी पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को समाप्त करें एवं बैटरी चार्जर पर 06.03.2013 तक 14/14.5 प्रतिशत से एवं 06.03.2013 के पश्चात् 5 प्रतिशत से करारोपण की गणना कर पुनः आदेश पारित करें।




17. उक्तानुसार अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर बैटरी एवं बैटरी चार्जर पर उक्त निर्णय अनुसार निश्चित कर दर से पुनः गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

18. निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य


(क. पू. जैन)
सदस्य